पत्रावली पुनः/अनुसार दिनांक 12.3.25 को पेश हो।

12.3.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी ने प्रा. पत्र मुल वादी की जगह साक्ष्य मे विधिक वारिसान का शपथ पत्र पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत् का पेश किया। प्रा. पत्र का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा. पत्र O22 R03 जा. दी के अनुसार वादी स. 1 की मृत्यु दि. 13-5-2021 को होगई थी। जिससे मृतक के विधिक वारिसान दि. 29-2-22 को रिकार्ड पर ले लिए गये थे। तब से ही प्रकरण साक्ष्य वादी मे विचाराधिन है। विधिक वारिसान को साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 31-10-2022 से अवसर दिये जा रहे है। किन्तु फिर भी प्रकरण मे साक्ष्य पेश नही कि गई प्रकरण मे दिनांक 8-1-25 को अन्तिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आइन्दा पेशी पर साक्ष्य वादी पेश नही कि गई तो साक्ष्य वादी बन्द समझी जावेगी इस के पश्चात भी साक्ष्य वादी पेश नही कि गई। अतः प्रकरण मे विधिक वारिसान वादी गण को लगभग तीन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारि... जो इस हुक्म ... में जारी
वर्ष से अधिक समय से अवसर दिये जाने के पश्चात भी साक्ष्य वादी पेश नही कि जाने से साक्ष्य वादी बन्द कि जाती है। व साथ ही प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा. पत्र मूल वादी की जगह साक्ष्य मे विधिक वारिसान का शपथ पत्र पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने का खारिज किया जाता है। प्रकरण मे वादी की साक्ष्य बन्द कि जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे दस्तावेज प्रदर्श नही हो सकते है। जब दस्तावेज प्रदर्श नही हुए तो प्रकरण मे दस्तावेज पढे नही जा सकते है। ऐसी स्थिति मे दावा चलने योग्य नही है। अत: वाद वादी गण का वाद साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	